महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
एवं
राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय

समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ –226007

निपुण भारत

वेब-साइट: www.basiceducation.up.gov.in, ई-मेल: upefaspo@gmail.com दूरभाष: 0522-4024440, 2780384, 2781128

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः गुण0वि0 / इको क्लब / 3526 / 2024–25 दिनांकः 22 जुलाई 2024

विषयः राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के परिप्रेक्ष्य में विद्यालयों में पर्यावरणीय गतिविधियों एवं परियोजनाओं के कियान्वयन में बच्चों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से विद्यालयों में "Eco Clubs for Mission LiFE" की स्थापना के संबंध में।

महोदय / महोदया,

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में छात्रों को नवोन्मेषी, अनुकूलनशील, सफल एवम् उत्पादक इंसान बनाने के लिए कुछ विषयों, कौशलों और क्षमताओं को सीखने पर ध्यान आकृष्ट किया गया है। इन कौशलों में पर्यावरण जागरूकता सहित जल संसाधन संरक्षण एवं स्वच्छता भी सम्मिलित हैं। इसके साथ ही छात्रों को सार्थक पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों और परियोजनाओं को अपनाने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से विद्यालयों में **"Eco Clubs for Mission LiFE"** बनाये जाने का निर्देश प्रदान किया गया है, जिससे कि उनके अन्दर पर्यावरणीय चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता और सम्यक् समझ विकसित हो सके। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF-SE 2023) में भी स्कूल शिक्षा के अन्तर्गत पर्यावरणीय शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया गया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता, संरक्षण आदि के संबंध में अवगत कराते हुये पाठ्यक्रम में ''पर्यावरण शिक्षा'' संबंधी विषय को समाहित किये जाने हेतु स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में विद्यालयों में पर्यावरणीय गतिविधियों के कियान्वयन में बच्चों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से विद्यालयों में **"Eco Clubs for Mission LiFE"** की स्थापना हेतु समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2024–25 में पी0ए0बी0, भारत सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। संयुक्त सचिव, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–8–21 / 2023–ईई.12 दिनांक 17 नवम्बर, 2023 के माध्यम से विद्यालयों में इको क्लब की गतिविधियों के संचालन हेतु "Eco Club-Green Means Clean" गाइडलाइन्स निर्गत की गयी हैं। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाइन्स की **प्रति संलग्न है (संलग्नक–1)।**

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाइन्स के कम में **परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कम्पोजिट एवं के0जी0बी0 विद्यालयों** में "Eco Clubs for Mission LiFE" का गठन एवं गतिविधियों का कियान्वयन सुनिश्चित किया जाना है। विद्यालयों में "Eco Clubs for Mission LiFE" की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत् हैं :–

1. "Eco Clubs for Mission LiFE" का मुख्य उद्देश्य बच्चों में जीवन कौशल, नेतृत्व क्षमता का विकास करना तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना।
2. "Eco Clubs for Mission LiFE" के तहत बच्चों, विद्यालय एवं समुदाय को संवेदनशील बनाना।
3. कार्यक्रम संचालन के संबंध में अधिकारियों एवं शिक्षकों का क्षमता संवर्द्धन किया जाना।
4. पर्यावरण, ऊर्जा संरक्षण, वृक्षारोपण, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबन्धन, जैव विविधता आदि के संबंध में बच्चों की समझ विकसित करना।
5. बच्चों में जीवन कौशल का विकास तथा आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान की भावना विकसित करते हुये भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिये सकारात्मक वातावरण का सृजन करना।
6. बच्चों को अपने आस–पास के पर्यावरण, जैव विविधता, जलवायु, स्थानीय पारिस्थितिकी पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक करना।
7. बच्चों को प्रकृति के साथ आनन्दपूर्वक कार्य करते हुये विभिन्न गतिविधियों में प्रतिभागिता के साथ सीखने के अवसर प्रदान करना।

"Eco Clubs for Mission LiFE" का गठन :–

प्रत्येक **परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कम्पोजिट एवं के0जी0बी0 विद्यालय** में "Eco Clubs for Mission LiFE" का गठन किया जायेगा। क्लब का नेतृत्व प्रधानाध्यापक या उनके द्वारा नामित सहायक अध्यापक द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक विद्यालय के **प्रधानाध्यापक या ईको क्लब प्रभारी** द्वारा क्लब की गतिविधियों के संचालन हेतु 02 शिक्षकों को नामित किया जायेगा। सभी छात्र, शिक्षक एवं स्टाफ के अन्य सदस्य तथा बच्चों के अभिभावक भी क्लब के सदस्य हो सकते हैं। क्लब के नोडल शिक्षक को **"हरित शिक्षक/शिक्षिका"** के नाम से जाना जायेगा। **"हरित शिक्षक/शिक्षिका"** क्लब की गतिविधियों को एक अन्य शिक्षक के सहयोग से संचालित करने के लिये उत्तरदायी होंगे। क्लब की गतिविधियों को सुचारु रुप से संचालित करने के लिये **प्रत्येक कक्षा से एक कक्षा समन्वयक** चयनित किया जायेगा। प्रत्येक कक्षा से कक्षा समन्वयक द्वारा अपनी कक्षा से बच्चों को ईको क्लब की गतिविधियों में प्रतिभाग करने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा।

प्रधानाध्यापक या क्लब प्रभारी द्वारा स्थानीय स्तर पर पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहे विशेषज्ञ को यथावश्यकतानुसार क्लब की गतिविधियों में मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिये आमंत्रित किया जा सकता है। क्लब के छात्र सदस्यों में से किसी एक छात्र/छात्रा को क्लब का **कैप्टन** नामित किया जायेगा, जिसके द्वारा हरित शिक्षक/शिक्षिका के मार्गदर्शन में कार्य किया जायेगा। क्लब की गतिविधियों को संचालित करने में बच्चों द्वारा सकिय सहयोग प्रदान किया जायेगा। विद्यालय के वार्षिक समारोह में क्लब की गतिविधियों के प्रभावी प्रदर्शन हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा तथा प्रत्येक बच्चे को समान अवसर प्रदान किया जायेगा। विद्यालयों में "Eco Clubs for Mission LiFE" संबंधी गतिविधियों के प्रभावी कियान्वयन हेतु प्रधानाध्यापक/नोडल शिक्षक/कप्तान की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

1) **प्रधानाध्यापक की भूमिका :–**

क्लब की गतिविधियों के संचालन हेतु प्रधानाध्यापक पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। **प्रधानाध्यापक/वार्डेन द्वारा क्लब के संचालन हेतु एक नोडल शिक्षक/शिक्षिका तथा एक सहायक नोडल शिक्षक नामित किया जायेगा। प्रधानाध्यापक/वार्डेन द्वारा क्लब की गतिविधियों के संचालन हेतु वार्षिक गतिविधि कैलेण्डर तैयार किया जायेगा तथा गतिविधियों का संचालन किया जायेगा।** विद्यालय में "Eco Clubs for Mission LiFE" संबंधी गतिविधियों के प्रभावी कियान्वयन हेतु प्रधानाध्यापक द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रही विशेषज्ञ संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी विद्यालय में आमंत्रित किया जा सकता है।

2) **शिक्षक की भूमिका :–**

विद्यालय में "Eco Clubs for Mission LiFE" संबंधी गतिविधियों के प्रभावी कियान्वयन हेतु नोडल शिक्षक द्वारा गतिविधियों के कियान्वयन हेतु वार्षिक कैलेण्डर तैयार करने में प्रधानाध्यापक/वार्डेन को अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा। नोडल शिक्षक/शिक्षिका एवं सहायक नोडल शिक्षक द्वारा क्लब से संबंधित गतिविधियों के संचालन हेतु बच्चों को सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जायेगा। नोडल शिक्षक द्वारा सभी कक्षाओं के बच्चों को क्लब की गतिविधियों में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

नोडल शिक्षक एवं सहायक नोडल शिक्षक द्वारा क्लब से संबंधित गतिवधियों का नियमित अनुश्रवण करते हुये अद्यावधिक प्रगति के संबंध में खण्ड शिक्षा अधिकारी को अवगत कराया जायेगा। शिक्षक द्वारा क्लब की गतिविधियों से संबंधित अभिलेख तैयार कर यथावश्यक संसाधनों की व्यवस्था करायी जायेगी। शिक्षक द्वारा क्लब के सदस्यों की नियमित बैठक आयोजित करते हुये क्लब के कैप्टन एवं अन्य सदस्यों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किये जायेंगे। शिक्षक द्वारा क्लब की गतिविधियों के कियान्वयन हेतु आवश्यक संसाधन यथा–पुस्तकें, चार्ट पेपर, पेन–पेंसिल, पौधों आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। क्लब की गतिविधियों का कियान्वयन विद्यालय प्रांगण अथवा बैठक कक्ष में किया जायेगा तथा गतिविधियों का कियान्वयन किये जाने के लिये सभी सदस्यों एवं बच्चों की अधिकाधिक प्रतिभागिता सुनिश्चित करायी जायेगी। गतिविधियों के कियान्वयन की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक के प्रचार–प्रसार एवं आयोजन स्थल आदि की जानकारी उपलब्ध कराये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व नोडल शिक्षक का होगा।

3) **कैप्टन की भूमिका :–**

नोडल शिक्षक/शिक्षिका एवं सहायक नोडल शिक्षक द्वारा क्लब के छात्र–छात्रा सदस्यों में से एक छात्र–छात्रा को क्लब का **कैप्टन** नियुक्त किया जायेगा। कैप्टन तथा प्रत्येक कक्षा से चयनित एक कक्षा समन्वयक द्वारा सभी बच्चों को अधिक से अधिक संख्या में क्लब की गतिविधियों में प्रतिभाग करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा तथा वर्षिक कैलेण्डर के आधार पर क्लब की गतिविधियों के कियान्वयन में नोडल शिक्षिक/शिक्षिका को सहयोग प्रदान किया जायेगा। क्लब की गतिविधियों के कियान्वयन में क्लब प्रभारी,

नोडल शिक्षक, कक्षा समन्यवकों के साथ बैठक में प्रतिभाग करते हुये गतिविधियों का कियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। कैप्टन द्वारा क्लब की गतिविधियों के कियान्वयन में बाल संसद/मीना मंच/किशोरी मंच के सदस्यों की सहभागिता के लिये भी समन्वय स्थापित किया जायेगा। कैप्टन द्वारा प्रभारी शिक्षक/शिक्षिका के निर्देशन में फोटोग्राफ/अखबार क्लिप आदि के साथ गतिविधि रिपोर्ट तैयार करने में सहयोग प्रदान किया जायेगा।

"Eco Clubs for Mission LiFE" के अन्तर्गत गतिविधियों का कियान्वयन एवं रक्षोपाय :–

"Eco Clubs for Mission LiFE" के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जायेगा। तत्संबंधी गतिविधियों का मासिक कैलेण्डर **संलग्न** है **(संलग्नक–2)**। क्लब की गतिविधियां शनिवार (सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) के दिन (शिक्षण अवधि के अंतिम 01 घंटे में) आयोजित की जायेंगी। आवश्यकतानुसार क्लब की गतिविधियां नोडल शिक्षक के पर्यवेक्षण में शिक्षण अवधि के उपरान्त भी की जा सकती हैं। गतिविधियों के कियान्वयन में बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत निम्नांकित रक्षोपाय सुनिश्चित किये जायें :–

1) क्लब की गतिविधियां प्रारम्भ करने से पूर्व विद्यालय द्वारा कार्ययोजना तैयार की जायेगी, जिसमें जोखिम प्रबंधन और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के उपाय भी सम्मिलित होंगे।
2) बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत क्लब की गतिविधियों का आयोजन शिक्षकों की देखरेख एवं मार्गदर्शन में किया जायेगा। क्लब की गतिविधियों के दौरान किसी दुर्घटना से निपटने के लिए विद्यालय में प्राथमिक चिकित्सा किट की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।
3) क्लब की गतिविधियों के सफलतापूर्वक संचालन हेतु विद्यालय द्वारा संभावित जोखिमों की पहचान कर निराकरण सुनिश्चित कराया जायेगा। विद्यालय में अग्निशमन यंत्र की उपलब्धता एवं क्रियाशीलता का ध्यान रखा जाये।
4) हाई टेंशन पॉवर लाईन/हाई वोल्टेज बिजली के तार/पानी की ओवरहेड टंकी तथा तालाब, नहर अथवा नदी के निकट की उपलब्धता वाले स्थान पर क्लब संबंधी गतिविधियां संचालित नहीं करायी जायेंगी।
5) विद्यालय के निकटस्थ अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC), अग्नि शमन केन्द्र, एम्बुलेंस इत्यादि के संपर्क नंबर विद्यालय की ऐसी दीवार पर चस्पा किये जायें, जिसे सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके। गतिविधियों के दौरान दिव्यांग छात्रों का शिक्षकों और अन्य बच्चों द्वारा विशेष ध्यान दिया जायेगा।

"Eco Clubs for Mission LiFE" का अनुश्रवण :–

- **विद्यालय स्तरीय अनुश्रवण :–** प्रत्येक विद्यालय की विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा विद्यालय स्तर पर समय–समय पर आयोजित की जाने वाली क्लब की गतिविधियों की समीक्षा की जायेगी। बच्चों के माता–पिता द्वारा भी नियमित अंतराल पर इन गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
- **जनपद स्तरीय अनुश्रवण :–** जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी, जिसके माध्यम से क्लब की गतिविधियों की समीक्षा एवं कियाकलापों का प्रबन्धन किया जायेगा। इस समिति में शिक्षा विभाग के अतिरिक्त कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग, बागवानी, वन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायती राज इत्यादि विभागों के अधिकारी सम्मिलित होंगे। जनपद स्तरीय समिति के सदस्यों द्वारा समय–समय पर विद्यालयों का भ्रमण करके क्लब की गतिविधियों के संबंध में समीक्षा की जायेगी।

  परिषदीय एवं के0जी0बी0 विद्यालयों में "Eco Clubs for Mission LiFE" संबंधी गतिविधियों के संचालन हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं संबंधित विकासखण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा समय–समय पर स्थलीय निरीक्षण भी किया जायेगा तथा एस0आर0जी0 एवं ए0आर0पी0 द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के समय अनुसमर्थन प्रदान किया जायेगा।
- **राज्य स्तरीय अनुश्रवण :–** राज्य स्तर पर गठित स्टेयरिंग कमेटी के माध्यम से समय–समय पर विद्यालयों में "Eco Clubs for Mission LiFE" द्वारा संचालित की जा रही गतिविधियों की समीक्षा की जायेगी।
- **राष्ट्र स्तरीय अनुश्रवण :–** शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा समय–समय पर जनपद एवं विद्यालयों का भ्रमण कर क्लब की गतिविधियों का अनुश्रवण किया जायेगा। क्लब की गतिविधियों के संबंधित फोटोग्राफ्स आदि संक्षिप्त आख्या सहित त्रैमासिक रूप से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पोर्टल www.mdm.nic.in पर अपलोड किये जायेंगे।
- परिषदीय विद्यालयों में "Eco Clubs for Mission LiFE" संबंधी गतिविधियों की प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से निम्नानुसार ट्रैकिंग की जायेगी :–
  - सपोर्टिव सुपरविजन/विद्या समीक्षा केन्द्र से प्राप्त डेटा के आधार पर।

➢ एस0एम0सी0 एक्टिविटी मॉड्यूल के माध्यम से।

अतः निर्देशित किया जाता है कि समस्त **परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कम्पोजिट एवं के0जी0बी0 विद्यालयों** में **"Eco Clubs for Mission LiFE" का गठन आगामी एक सप्ताह में पूर्ण कराते** हुये गतिविधियों के संचालन हेतु सर्वसंबंधित को अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः उक्तवत

भवदीया,

Kanchan

(कंचन वर्मा)
राज्य परियोजना निदेशक

पत्रांकः गुण0वि0/इको क्लब/ /2024–25 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
3. शिक्षा निदेशक (बेसिक), बेसिक शिक्षा निदेशालय, निशातगंज, लखनऊ, उ0प्र0।
4. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, निशातगंज, लखनऊ, उ0प्र0
5. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
6. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
7. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
8. खण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त विकासखण्ड, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
9. जिला समन्वयक (प्रशिक्षण/बालिका शिक्षा), समग्र शिक्षा, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

(कंचन वर्मा)
राज्य परियोजना निदेशक

संलग्नक–2

"Eco Clubs for Mission LiFE" संबंधी गतिविधियों का मासिक कैलेण्डर

क्र0 सं0	माह	गतिविधि
1	जून (गतिविधियों के आयोजन के संबंध में राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक–सामु0सह0/स्कूल चलो अभियान/2306/2024–25 दिनांक 18 जून, 2024 द्वारा जनपदों को पूर्व में निर्देश निर्गत किये गये हैं।	• **दिनांक 05 जून को "विश्व पर्यावरण दिवस"** के रूप में मनाया जाये। इस दिवसर के अवसर पर बच्चों को जैव विविधता, पौधारोपण, विद्यालय में सामूहिक स्वच्छता कार्यक्रम, क्विज प्रतियोगिता आदि का आयोजन कराया जाना। **स्वस्थ जीवन शैली अपनाना –** • विद्यार्थियों को निकटस्थ प्राकृतिक स्थलों का भ्रमण कराया जाये तथा पर्यावरण संरक्षण के बारे में जानकारी दी जाये। • विशिष्ट चिन्हित स्थानों पर वृक्षारोपण कराया जाये। • विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित कर आस पास के ग्रामीण एवं पर्यटन स्थलों तथा उनसे सम्बन्धित ऐतिहासिक, भौगोलिक, रीति–रिवाज, परम्पराओं, हस्त शिल्प आदि के सम्बन्ध में जानकारी दी जाये। **दीर्घकालिक खाद्य प्रणाली अपनाना –** • विद्यालय परिसर में किचन गार्डेन के विकास में विद्यार्थियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाये। यदि विद्यालय के पास आवश्यक खाली जमीन नहीं है, तो पुरानी बाल्टियों, प्लास्टिक की बोतलों और मिट्टी के बर्तनों का उपयोग कर लतायुक्त पौधों को लगाने हेतु प्रोत्साहित किया जाये। • रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के स्थान पर विद्यालय में उपलब्ध उपयुक्त कचरों का प्रयोग कर कम्पोस्ट खाद एवं पर्यावरण अनुकूल कीटनाशकों के संबंध में जागरूक किया जाये। • मोटे अनाजों के उपयोग से स्वास्थ्य सम्बन्धित लाभों के बारे में बताया जाये। • छात्रों को इन पहलों से मिली सीख को अपने घरों तक ले जाने और उन्हें दोहराने के लिए प्रोत्साहित किया जाये।
2	जुलाई	• **दिनांक 11 जुलाई को "विश्व जनसंख्या दिवस"** के रूप में मनाया जाना। इस दिवस के अवसर पर बच्चों को संसाधनों के उपयोग एवं सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु क्विज प्रतियोगिता, वाद–विवाद प्रतियोगिता, भाषण, नुक्कड़ नाटक आदि का आयोजन कराया जाना। • आरोग्य वाटिका/विद्यालय वाटिका तैयार करना। • वृक्षारोपण करना तथा रोपित पौधों की सुरक्षा, खाद, पानी एवं गुड़ाई आदि कार्यों हेतु विद्यार्थियों को पौधे आवंटित कर उनका दायित्व सौंपना। • वर्षा जल संचयन एवं उसके उपयोग पर गोष्ठी एवं क्रियान्वयन। • प्लास्टिक मुक्त पर्यावरण हेतु कपड़े/कागज की थैली के उपयोग हेतु जागरूकता।
3	अगस्त	• **दिनांक 15 अगस्त को "स्वतंत्रता दिवस"** के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, नुक्कड़ नाटक आदि का आयोजन कराया जाना। • जनसमुदाय को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने हेतु

		अभिभावकों/विद्यार्थियों की संगोष्ठी का आयोजन किया जाये, जिसमें कृषि विभाग से समन्वय कर विशेषज्ञ को भी आमंत्रित किया जाये। कूड़े के वर्गीकरण, वर्गीकरण के आधार पर निस्तारण, वर्मी कम्पोस्ट खाद का खेती में उपयोग तथा कूड़े को जलाने पर होने वाले पर्यावरणीय नुकसान के बारे में जानकारी दी जाये। • विद्यालय में गीले कूड़े हेतु **हरे रंग की बड़ी डस्टबिन** तथा सूखे कूड़े हेतु **नीले रंग की बड़ी डस्टबिन** रखवाई जाये तथा विद्यार्थियों में गीला कूड़ा हरी डस्टबिन में तथा सूखा कूड़ा नीली डस्टबिन में एकत्रित करने की आदत विकसित की जाये। प्रत्येक कक्षा में हरी तथा नीली रंग की छोटी–छोटी दो डस्टबिन भी रखवाई जा सकती हैं। • विद्यार्थी अपने आस–पास की प्राकृतिक वस्तुओं यथा– पेड़–पौधे, फूल, पक्षी, कीट–पतंगों, बादल एवं बदलते मौसम आदि का सतत् अवलोकन करें तथा अपने अनुभवों को प्रतिमाह फाइल/नोट बुक में लिखें तथा जांच हेतु नोडल शिक्षक को प्रस्तुत करें। माह अगस्त में उत्कृष्ट नोट बुक बनाने वाले 3 विद्यार्थियों को पुरस्कृत करें।
4	सितम्बर	• **दिनांक 16 सितम्बर को "World Ozone Day"** के रूप में मनाया जाना। इस दिवस के अवसर बच्चों को ozone layer के महत्व के बारे में जागरूक किया जाना तथा स्लोगन लेखन प्रतियोगिता आदि का आयोजन कराया जाना। • पर्यावरण संरक्षण पर स्लोगन एवं पोस्टर प्रतियोगिता। • प्रार्थना सभा में ओजोन फ्रेंडली उत्पाद की आवश्यकता एवं ओजोन परत क्षरण के दुष्परिणामों पर व्याख्यान। • प्रार्थना सभा में मृदा संरक्षण एवं मिट्टी की जांच के सम्बन्ध में विद्यार्थियों के साथ परिचर्चा। • प्रार्थना सभा में वाटर लीकेज/पानी की बर्बादी रोकने के लिए विद्यार्थियों को जागरूक करना।
5	अक्टूबर	• **दिनांक 1–7 अक्टूबर की अवधि में "World Wildlife Week"** के रूप में मनाया जाना। इस दिवस के अवसर पर बच्चों को वन्य जीव संरक्षण के महत्व से अवगत कराते हुये जागरूक किया जाना तथा निबन्ध प्रतियोगिता, वाद–विवाद प्रतियोगिता आदि का आयोजन कराया जाना। • प्रार्थना सभा में औषधीय पौधों के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी प्रदान करना। • बिजली बचत के सम्बन्ध में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु परिचर्चा। • वन्य जीव संरक्षण सप्ताह के अवसर पर जैव संरक्षण एवं पशु पक्षियों के प्रति विद्यार्थियों तथा अभिभावकों को संवेदनशील बनाने हेतु परिचर्चा, पोस्टर/वाद–विवाद प्रतियोगिता।
6	नवम्बर	• **दिनांक 14 नवम्बर को "बाल दिवस"** के अवसर पर पर्यावरण संबंधी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कराया जाना। • लाउडस्पीकर एवं गैर जरूरी हार्न के प्रयोग के विरूद्ध विद्यार्थियों को जागरूक करना। • विद्यालय स्टॉफ, शिक्षक, विद्यार्थी एवं अभिभावकों के साथ पटाखा विरोधी अभियान हेतु जागरूक किया जाना। • वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण आदि पर निबन्ध एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन।

		• विद्यार्थियों को आर्गेनिक/प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूक करना।
7	दिसम्बर	• **दिनांक 02 दिसम्बर को "National Pollution Prevention Day"** के रूप में मनाया जाना। इस दिवस के अवसर पर बच्चों को वायु, ध्वनि एवं जल प्रदूषण तथा ऊर्जा संरक्षण के संबंध में जागरूक करते हुये तत्संबंधी गतिविधियों का कियान्वयन कराया जाना। • जल संरक्षण एवं न्यूनतम जल उपयोग पर पोस्टर/भाषण प्रतियोगिता द्वारा विद्यार्थियों को जागरूक करना। • प्रार्थना सभा में **राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस (14 दिसम्बर)** पर ऊर्जा की बचत हेतु दैनिक जीवन के उपायों यथा– सोलर कूकर, सोलर हीटर, सोलर वाहन, सी0एफ0एल0 के प्रयोग एवं उपयोग न होने पर लाइट, पंखा, मनोरंजन के उपकरण बन्द करने की जानकारी देना।
8	जनवरी	• **दिनांक 30 जनवरी को "National Cleanliness Day"** के रूप में मनाया जाना। इस दिवस के अवसर पर बच्चों के माध्यम से विद्यालय परिसर में स्वच्छता संबंधी गतिविधियां, संगोष्ठी, पोस्टर पेंटिंग, निबन्ध लेखन आदि का आयोजन कराया जाना। • प्रार्थना सभा में पर्यावरण को क्षति पहुँचाने वाले कार्यों जैसे कूड़े–कचरे का गैर–चिन्हित स्थलों पर निस्तारण, हॉस्पिटल के कूड़े कचरे का असुरक्षित निस्तारण इत्यादि के विरूद्ध जागरूक करना। • विद्यालय एवं आसपास, स्वच्छता तथा सौन्दर्यीकरण हेतु अभियान चलाना। • विद्यार्थियों एवं जनमानस को पॉलीथीन बैग का उपयोग न करने एवं सार्वजनिक स्थलों पर पॉलीथीन फेंकने से जल निकास प्रणाली एवं सीवर पूर्णतः अवरूद्ध हो जाने के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु जागरूक करना।
9	फरवरी	• **दिनांक 02 फरवरी को "World Wetland Day"** के रूप में मनाया जाना। इस दिवस के अवसर पर बच्चों को आर्द्रभूमि के पारिस्थितिक मूल्य एवं लाभों के बारे में जागरूक किया जाना। • आपदा प्रबन्धन विभाग से समन्वय कर विद्यार्थियों को आपदा प्रबन्धन पर मॉकड्रिल द्वारा प्रशिक्षित करना।
10	मार्च	• **दिनांक 22 मार्च को "World Water Day"** के रूप में मनाया जाना। इस दिवस के अवसर पर विद्यालय में बच्चों के साथ जल संरक्षण संबंधी गतिविधियों का आयोजन कराया जाना। • बच्चों एवं जन–समुदाय को प्रतिदिन 01 लीटर जल संरक्षण हेतु प्रोत्साहित किया जाये, जिससे कि एक वर्ष में प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से 365 लीटर जल की महत्वपूर्ण बचत से जागरूक हो सकें। • प्रार्थना सभा में गौरैया दिवस (20 मार्च) पर गौरैया आदि पक्षियों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना। • प्रार्थना सभा में विश्व जल दिवस (22 मार्च) पर दैनिक जीवन में जल के मितव्ययी उपयोग पर विद्यार्थियों को जानकारी उपलब्ध कराना।

- **स्थानीय परिवेश के अनुसार नवाचारी गतिविधियों को प्रशंसित किया जायेगा।**

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF EDUCATION
DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION & LITERACY
SHASTRI BHAVAN
NEW DELHI-110 115

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
शास्त्री भवन
नई दिल्ली – 110 115

Dr. Amarpreet Duggal
Joint Secretary (Cord & Media)
Telephone: - 01123387781

D.O No.8-21/2023-EE.12

Date: 17th November, 2023

Respected Ma'am / Sir,

The National Education Policy, 2020 envisions integration of environmental awareness and sustainability into school education. Integrating climate change education at every stage of education in India is crucial as it empowers students with the knowledge, skills and awareness needed to address the pressing challenges of climate change. We all are aware of the debate and conversation on global warming and climate change and have to find a carbon emission agnostic approach to rapid development

2. In this direction, the National Curriculum Framework for School Education (2023) gives the required emphasis on developing knowledge, capacities, values and dispositions that would develop both awareness and abilities to engage in environmentally sustainable practices. Accordingly, NCF-SE aims to integrate environmental education at all levels of school education. Further, NEP 2020 has enumerated environmental awareness including water and resource conservation as one of the essential 21st century skills that should be learned by all students to become good, successful, innovative, adaptable and productive human beings in today's rapidly changing world.

3. It is important that environment education based on life experiences should begin during the early years of life. Towards this end, Eco clubs in schools are meant to encourage students to participate and take up meaningful environmental activities and projects. They are a forum through which students can reach out to influence, engage their parents and neighborhood communities to promote sound environmental behavior. They empower students to explore environmental concepts and actions beyond the confines of a syllabus or curriculum.

4. Accordingly, funds are being provided under the Samagra Shiksha scheme for establishing Eco Clubs in government schools from primary to senior secondary under the head 'Youth and Eco Club' since 2019-20. The financial norms for conducting youth and eco club activities are Rs. 5000 for standalone primary schools, Rs. 15000 per annum/school at elementary level and Rs. 25000 per annum/school at secondary level. However, currently only 40-60% schools have a Youth and Eco Club on an average (State wise number of Eco Clubs is annexed). I understand states and UTs are presently undertaking the planning process for the Annual Work Plan and Budget (AWP&B) 2023-24 and 2024-25. So, I would like to urge you to avail these funds to not only achieve 100% saturation of all schools with Eco Clubs but also facilitate conduct of activities to promote awareness and interest in the environment education activities viz., energy consumption, water conservation, biodiversity, climate change, etc. The following are some suggestive activities which can be taken up through eco clubs:

1. Utilisation of Bagless Days to engage children in environment friendly activities and to develop awareness.
2. Awareness programmes: through skits, plays, etc.
3. Competitions: Poster Making, Paintings, Slogan writing, etc.
4. Say no to single use plastic campaign
5. Cleaning drives of the school and surrounding area and keeping toilets usable for all at all times.
6. Composting food waste in the school and at home
7. Create kitchen garden in the school
8. Planting of trees in the school
9. Biodiversity conservation at the community level

5. Considering the importance of promoting these activities, I request you to issue necessary instructions to the concerned state and district authorities who are involved in the AWP&B planning process to ensure incorporation of Eco club activities for the PAB. Looking forward to your support and cooperation.

with regards,

Yours Sincerely

Enclosure (2)

17/11/23
(Amarpreet Duggal)

To: Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary All States and UTs

Copy to: State Project Director. Samagra Shiksha

इकोक्लब उपभोग विवरण वर्ष -2024-25

पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूल में इकोक्लब (ECO Club in School) का गठन किया जाना है |इसके तहत पेड़ लगाना ,स्वच्छता अभियान , प्राकृतिक संरक्षण , बागवानी के प्रति बच्चों को जोड़ना है ,तथा छात्रों को एक दूसरे के साथ सहयोग करने और अधिक से अधिक सीखने का मौका प्रदान करता है इसे अपने विद्यालय के पर्यावरणको बेहतर बनाने के लिए सक्रियता का माध्यम बनाता है |

वर्ष -2024-25 के लिए इकोक्लब गठन हेतु S.M.C. ACCOUNT में PFMS के माध्यम से

प्राथमिक विद्यालय _____ विकास क्षेत्र - _____

जनपद - _____ यूडायस कोड -_____

इकोक्लब गठन हेतु कम्पोनेट कोड - Eco Club Mission Life F.01.12.01 के तहत 1500 रूपये की धनराशि प्राप्त हुई है| जिसके उपभोग का विवरण इस प्रकार से है |

क्रमांक	क्रय की गई वस्तु का नाम	कुल योग	क्रमागत योग
1	बैनर	300	300
2	पोस्टर	190	490
3	पेण्ट	215	705
4	झाड़ू	205	910
5	डस्टविन	240	1150
6	बागवानी किट	350	1500
सम्पूर्ण योग			1500

RAJKUMAR AURAIYA FOR SAMPLES

हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक

हस्ताक्षर S.M.C. अध्यक्ष